महत्वपूर्ण एवं खास

हिंदी विषय का पूरक परीक्षा : बारहवीं का 23 जुलाई को और दसवीं का 24 जुलाई को होगा

सारंगढ़ बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा वर्ष 2024 में हाईस्कूल पूरक परीक्षा 24 जुलाई 2024 से 8 अगस्त 2024 तक और हायर सेकंडरी स्कूल पूरक परीक्षा 23 जुलाई 2024 से 12 अगस्त 2024 तक आयोजित होगा। इन परीक्षाओं के लिए समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक निर्धारित है। मंगलवार 23 जुलाई 2024 को हायर सेकेण्डरी स्कूल अंतर्गत हिंदी विषय का परीक्षा है वहीं 24 जुलाई 2024 को हाईस्कूल के हिंदी विषय का परीक्षा होगा।

दसवी-बारहवी पूरक परीक्षा के लिए उड़नदस्ता टीम गठित

सारंगढ़ बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा दसवीं और बारहवीं के पूरक परीक्षा 2024 के सफल संचालन के लिए कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने विकासखंडवार उड़नदस्ता जांच दल गठित किया है। ये दल अपने क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों का सघन निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्था बनाने तथा अनुचित साधन की रोकथाम करेंगे। इसमें सारंगढ़ विकासखंड के दल (क्रमांक 1) में तहसीलदार मनीष सूर्यवंशी दल प्रभारी हैं। बरमकेला विकासखंड के दल (क्रमांक 2) में नायब तहसीलदार कोमल साहू दल प्रभारी हैं वहीं बिलाईगढ़ विकासखंड के दल (क्रमांक 3) में तहसीलदार कमलेश सिदार दल प्रभारी हैं। इन सभी दल प्रभारियों के साथ दल में शिक्षा विभाग के 3 सदस्य सहयोगी हैं। उड़नदस्ता दल के सभी सदस्य परीक्षा केन्द्रों में निरीक्षण कर प्रकरण बनाने के लिए अधिकृत किए गए हैं।

बाढ़ आपदा राहत के लिए कंट्रोल रूम और नियंत्रणकर्ता अधिकारियों के नंबर जारी

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने मानसून सत्र के बाढ़ आपदा को दृष्टिगत रखते हुए सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में बाढ़ आपदा राहत कन्ट्रोल रूम की स्थापना किया है, जिसका दूरभाष नंबर 07768-299016 है। जिला कलेक्टर कार्यालय में तैनात नगर सैनिकों का मोबाइल नंबर 8827148855, 9340761945, 8269710100, 6264898835 है। इसी प्रकार जिले के सभी तहसील मुख्यालयों में भी कन्ट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। डॉ. वर्षा बंसल डिप्टी कलेक्टर को बाढ़ आपदा राहत का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिनका मोबाइल नंबर 8839256389 है और शाखा का ईमेल rahat.sarangarh@gmail.com(राहत डॉट सारंगढ़ एट जीमेल डॉट कॉम) है।

एसडीएम और तहसीलदार होंगे स्थानीय नियंत्रण अधिकारी- अनुविभागीय और तहसील स्तर पर प्रभारी अधिकारी बाढ़ नियंत्रण के नियंत्रण अधिकारी होंगे। इसके अनुसार कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सारंगढ़ के बाढ़ नियंत्रण रूम का फोन नंबर 07768-233706 है। प्रभारी अधिकारी एसडीएम अनिकेत साहू का मोबाइल नंबर 9893686864 है। इसी प्रकार कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलाईगढ़ के बाढ़ नियंत्रण रूम का और प्रभारी अधिकारी एसडीएम डॉ. स्निग्धा तिवारी का मोबाइल नंबर 7987283205 है। सरिया तहसील के बाढ़ नियंत्रण रूम का फोन नंबर 07768-265041 और नियंत्रण अधिकारी तहसीलदार शनिराम पैंकरा का मोबाइल नंबर 9827464329 है। बाढ़ नियंत्रण अधिकारी तहसीलदार का मोबाइल नंबर सारंगढ़ तहसील के लिए पूनम तिवारी 9516060714, बरमकेला तहसील के लिए तहसीलदार कोमल साहू 8817131042, बिलाईगढ़ तहसील के लिए कमलेश सिदार 9406468597, भटगांव उप-तहसील के लिए देवराज सिदार 8817059171, उप तहसील सरसींवा के लिए रूपाली मेश्राम 6260520007 और उप-तहसील कोसीर के लिए आयुष तिवारी 9617296226 जारी किया गया है।

शिवनाथ नदी में लाखों मछलियों एवं कुछ मवेशियों की मौत

हाईकोर्ट ने सीएस-कलेक्टर से मांगा जवाब

मुंगेली | आरएनएस

मुंगेली जिले में शिवनाथ नदी में लाखों मछलियों और कुछ मवेशियों की मौत के मामले को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने प्रदेश के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। वहीं, आबकारी और पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव, मुंगेली कलेक्टर, एसपी और आबकारी उपायुक्त समेत 7 अधिकारियों को पक्षकार बनाया है। मामले की सुनवाई 22 जुलाई को होगी।

ज्ञात हो कि दो दिन पहले शिवनाथ नदी में लाखों मछलियां और कुछ मवेशी मरे मिले। आबकारी और पर्यावरण विभाग की टीम गांव पहुंची और जहरीले पानी का सैंपल लिया। विश्व हिंदू परिषद की शिकायत पर सरगांव पुलिस ने एनीकट में मिले मवेशियों के शव का पोस्टमार्टम कराया।

स्थानीय लोग नदी में मरी मछलियों को खाने के लिए घर ले जा रहे थे। इस दौरान कोनी गांव के युवक ज्ञान चंद वर्मा ने उन्हें जागरूक करने के लिए एक वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया।

बलौदाबाजार हिंसा पर गरमाया सदन

रायपुर | आरएनएस

मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्षी कांग्रेस के विधायकों ने बलौदाबाजार हिंसा का मामला उठाया।विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की।इसे लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने हुए। सत्ता पक्ष ने न्यायिक आयोग की जांच का हवाला देकर चर्चा न करने की रखी मांग।न्यायिक आयोग को न्याय प्रक्रिया के अधीन है की नहीं ? अजय चंद्राकर ने कहा कि स्थगन स्वीकार करने योग्य नही है।विधानसभा अध्यक्ष डॉ.रमन सिंह ने व्यवस्था दी कि अभी मै विषय की ग्राह्यता पर सदस्यों के विचार सुन रहा हूं। इसलिए ही चंद्राकर की आपत्ति खारिज की जाती है। धरमलाल कौशिक और दूसरे सदस्यों ने की आपत्ति। भूपेश बघेल ने अध्यक्ष की अनुमति से ऐसे विषय पर चर्चा की अनुमति दिए जाने का नियम पढ़कर सुनाया। बता दें कि मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, और कोरबा की सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत भी पहुंचीं।

बिलासपुर से देशी पिस्टल बेचने जा रहा था मुंगेली, रायपुर पुलिस ने पकड़ा

रायपुर | आरएनएस

एमपी से देसी पिस्टल लेकर रायपुर में बेचने जा रहे एक युवक को सरगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने युवक के कब्जे से देसी पिस्टल और बाइक जब्त कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है।सरगांव पुलिस की टीम गुरुवार की रात पेट्रोलिंग पर थी।

इसी दौरान जवानों ने नेशनल हाईवे पर मोहभट्ठा के पास बाइक सवार दो युवकों को देखा। युवकों की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर जवान उनसे पूछताछ करने लगे। इसी दौरान एक युवक भागने लगा। जवानों ने उसके साथी को पकड़ लिया। कड़ाई से पूछताछ में युवक ने अपना नाम नरेंद्र धुर्वे निवासी राजेंद्र ग्राम जिला अनुपपुर मध्यप्रदेश बताया। उसने बताया कि वह अनुपपुर से देसी पिस्टल लेकर रायपुर में बेचने जा रहा था। इसी दौरान वह पुलिस की पकड़ में आ गया। आरोपित युवक के खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। उससे मिली जानकारी के आधार पर फरार युवक की तलाश की जा रही है।

खरीफ फसलों के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू

कृषक 31 जुलाई तक करा सकते है बीमा

रायगढ़

उद्यानिकी फसल उत्पादन कर रहे कृषको के लिए खरीफ फसल हेतु टमाटर, बैगन, अमरुद, केला, पपीता, मिर्च एवं अदरक के लिये वर्ष 2024-25 अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना छत्तीसगढ़ में लागू हो गई है। रायगढ़ जिले के ईच्छुक ऋणी/अऋणी कृषक 31 जुलाई 2024 तक लोक सेवा केन्द्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति या बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर अपने उद्यानिकी फसलों का बीमा करवा सकते है। इस हेतु बीमा कंपनी के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि कपिल विश्वकर्मा मोबाईल नं.-7906655061 एवं जिला स्तरीय प्रतिनिधि संजीव कुमार साहू मो.न.-7489601443 से संपर्क कर सकते है।

सहायक संचालक उद्यान कार्यालय, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना में सभी अऋणी कृषक (भूधारक एवं बटाईदार), जो इस योजना में शामिल होने के ईच्छुक है, ऐसे कृषकों को घोषणा पत्र के साथ फसल बुआई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र सहित संबंधित अन्य अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। चयनित उद्यानिकी फसलों का बीमा कराये जाने के लिये किसानों को उन फसलों के लिए निर्धारित ऋणमान का 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि के रुप में देना होगा, शेष प्रीमियम की राशि 50-50 प्रतिशत राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाएगा।

ऋणी कृषक जो योजना मे शामिल नहीं होना चाहते है, उन्हे भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 07 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थान मे अनिवार्य रुप से जमा करना होगा। निर्धारित समय-सीमा मे हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम (खरीफ) के लिए स्वीकृत/नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रुप से बीमाकृत किया जाएगा।

किसानों को विभिन्न मौसमी जोखिम जैसे-तापमान (कम या अधिक तापमान), वर्षा-(कम, अधिक या बेमौसम वर्षा), बीमारी अनुकूल मौसम (कीट एवं व्याधि), ओला वृष्टि एवं चक्रवाती हवाएँ, हवा की गति, से फसलों को होने वाले क्षति से फसल बीमा का नियमानुसार लाभ प्राप्त होगा। खरीफ मौसम में ओलावृष्टि एवं चक्रवाती हवाएं की स्थिति में कृषक इसकी सूचना सीधे बीमा कम्पनी के टोल फ्री नं. 1800-419-0344 पर या लिखित रुप मे 72 घंटे के भीतर संबंधित बैंक, स्थानीय राजस्व/उद्यानिकी/कृषि अधिकारी अथवा जिला उद्यान अधिकारी को बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचित करेगा।

मोड़ पर संकेतक और ब्रेकर बेरियर बनाया गया: कलेक्टर के निर्देश पर अमल प्रारंभ

सारंगढ़ बिलाईगढ़

दुर्घटनाजन्य मोड़ पर ब्रेकर बेरियर बनाने के लिए विगत 18 जुलाई को आयोजित सड़क सुरक्षा की बैठक में कलेक्टर धर्मेश साहू ने नेशनल हाईवे के अधिकारियों को निर्देश दिए थे। निर्देश पर रायगढ़ से सरायपाली एन-एच के मध्य दानसरा से कनकबीरा रोड में कार्य प्रारंभ हो गया है। सालर के 2 मोड़ पर ब्रेकर बेरियर बनाया गया है। इसी प्रकार जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के पुलिस विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा अंतर्गत हेलमेट पहनकर मोटर सायकल चलाने, तेज गति से हानि होने की चेतावनी और नशे में गाड़ी नहीं चलाने के संबंध में पोस्टर चिपकाया गया है। दानसरा नेशनल हाईवे मोड़ पर दोनों तरफ सारंगढ़, बरमकेला, रायगढ़ और सरायपाली जाने का संकेतक भी स्थापित किया गया है। इससे इस क्षेत्र से अनजान मुसाफिर को संबंधित रूट में जाने के लिए मददगार साबित होगा।

किराना दुकान में गांजा बेचने की सूचना पर तमनार पुलिस ने की कार्यवाही, आधा किलो गांजा के साथ आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़

दिनांक 20/07/2024 के शाम थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आशीर्वाद रहटगांवकर को मुखबीर से ग्राम बिजना का जाहिर खान अपने किराना दुकान में अवैध रूप से गांजा बिक्री करने की सूचना मिली। थाना प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर थाने से सहायक उप निरीक्षक नरसिंग यादव के हमराह स्टाफ कार्यवाही के लिए रवाना किया गया। पुलिस टीम तत्काल ग्राम बिजना जाकर संदेही के दुकान पर रेड किया गया। जहां मौजूद मिले जाहिर खान को गांजा रेड की जानकारी देकर विधिवत संदेही की तलाशी लेकर फोर्स की तलाशी दी गई और दुकान की तलाशी लिया गया जिसमें किराना दुकान के पीछे दीवाल में बने गड्ढा में जाहिर खान द्वारा छुपा कर रखे प्लास्टिक पन्नी में मादक पदार्थ गांजा को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। जप्त गांजा का वजन 550 ग्राम कीमती रु.2700 का पाया गया। आरोपी द्वारा अवैध बिक्री के लिए गांजा रखना पाए जाने पर आरोपी जहीर खान पिता जाफर खान उम्र 20 साल निवासी ग्राम बिजना थाना तमनार के विरुद्ध अपराध क्रमांक 192/ 2024 धारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है। गांजा रेड की कार्यवाही में थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आशीर्वाद रहटगांवकर, सहायक उप निरीक्षक नरसिंग नाथ यादव, प्रधान आरक्षक संतोष कुर्रे, आरक्षक भीष्म देव सागर और सनंत कुमार शामिल थे।

मुर्गी फार्म के शेड में लगे पंखों की चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

आरोपी से 7 नग सिलिंग फैन जब्त

रायगढ़

धरमजयगढ़ पुलिस ने ग्राम बरतापाली के मुर्गी फार्म शेड में ग्राम पंचायत द्वारा लगाये पंखे और हैलोजन लाईट की चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी से चोरी के 07 नग सिलिंग फैन की जप्ती की गई है। पुलिस ने आरोपी को नकबजनी के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा है।

मुर्गी फार्म से लाईट और पंखे चोरी को लेकर 21 जून को थाना धरमजयगढ़ में जनमित्रम स्वयं सहायता समूह की सचिव प्रेमादेवी राठिया (उम्र 35 वर्ष) निवासी ग्राम बरतापाली द्वारा लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि शासकीय योजना के तहत उनके समूह द्वारा रीपा गोठान में मुर्गी पालन का कार्य किया जा रहा है। 13 जून को समूह के अध्यक्ष के साथ मुर्गी फार्म का निरीक्षण किया गया था, फार्म के शेड में पंखे, लाईट लगे हुये थे। पुनः 20 जून को फार्म का निरीक्षण किये तो शेड में पंचायत द्वारा लगाये गये 08 नग पंखा, 01 हैलोजन लाईट कुल कीमती 22,000/- रूपये को कोई चोर चोरी कर ले गया था। थाना धरमजयगढ़ में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 163/2024 धारा 457, 380 आईपीसी के तहत अपराध कायम कर माल मुल्जिम की पतासाजी की जा रही थी कि आज थाना प्रभारी धरमजयगढ़ निरीक्षक कमला पुसाम को मुखबीर द्वारा ग्राम बरतापाली के सुरेश राठिया को गांव के मुर्गी फार्म का पंखा, लाईट चोरी करना बताया। तत्काल थाना प्रभारी ने स्टाफ को ग्राम बरतापाली रवाना किया गया, पुलिस टीम द्वारा संदेही सुरेश राठिया के घर दबिश देकर हिरासत में लिया गया। पूछताछ में सुरेश राठिया ने 08 नग सिलिंग फैन और 01 हैलोजन लाईट चोरी करना स्वीकार किया और बताया कि हैलोजन बल्ब टूट जाने पर वहीं फेंक दिया और 01 पंखा को बेच कर बिक्री रकम को खर्च कर दिया है। आरोपी सुरेश राठिया पिता जुगितराम राठिया उम्र 38 वर्ष साकिन रतापाली थाना धरमजयगढ़ के मेमोरेंडम पर चोरी की 07 नग आलंत कंपनी का सिलिंग फैन बरामद कर जप्त किया गया। आरोपी को आज धरमजयगढ़ पुलिस द्वारा नकबजनी के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

खरसिया पुलिस की जुआ रेड, 13 जुआरियों से 10,200 रुपए जब्त

रायगढ़

दिनांक 21/07/2024 की रात्रि पुलिस चौकी खरसिया प्रभारी संजय नाग को मुखबिर से ग्राम लोधिया नहरपुल के पास कुछ लोगों के 52 पत्ती ताश से जुआ खेलने की सूचना मिली, सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर उनके मार्गदर्शन पर चौकी प्रभारी द्वारा अपने स्टाफ के साथ जुआ फड़ की घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया। जहां दो जुआ फड से पुलिस ने 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से कुल रु.10,200 और जुआ सामग्री 52 पत्ती ताश की जप्ती की गई। आरोपीगण के विरुद्ध थाना खरसिया में अपराध क्रमांक 440, 441/2024 छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 3(2) के तहत कार्रवाई की गई है। जुआ रेड कार्यवाही में चौकी प्रभारी खरसिया उप निरीक्षक संजय नाग, प्रधान आरक्षक अशोक देवांगन, शंकर सिंह क्षत्री, मनोज मरावी, आरक्षक कीर्ति सिदार, सोहनलाल यादव, सोमनाथ पटेल और मुकेश यादव शामिल थे।

दोनों जुआ फड पर पकडे गये जुआड़ियान - (1) लक्ष्मीनारायण पटेल पिता विजित पटेल उम्र 49 वर्ष साकिन ढिमानी थाना खरसिया

(2) सुरेन्द्र पटेल पिता खेमराज पटेल उम्र 45 वर्ष साकिन ढिमानी थाना खरसिया

(3) छतराम सिदार पिता पकलु सिदार उम्र 48 वर्ष साकिन अमलडीहा थाना सक्ती जिला सक्ती

(4) भरत सिदार पिता रामचरण सिदार उम्र 50 वर्ष साकिन अमलडीहा थाना सक्ती जिला सक्ती

(5) मोहन सिंह सिदार पिता भगतराम सिदार उम्र 59 वर्ष साकिन रतनपाली थाना सक्ती जिला सक्ती

(6) हेमचरण साहु पिता बेदराम साहु उम्र 45 वर्ष साकिन सिंघरा थाना मालखरौदा जिला सक्ती

(7) रामशंकर साहु पिता तिहारू साहु उम्र 31 वर्ष साकिन लोधिया थाना खरसिया

(8) गणेश राम साहु पिता घासीराम साहु उम्र 42 वर्ष साकिन लोधिया थाना खरसिया

(9) राजेश साहु पिता धनीराम साहु उम्र 45 वर्ष साकिन लोधिया थाना खरसिया

(10) हरीराम जायसवाल पिता साधराम उम्र 34 वर्ष साकिन लोधिया थाना खरसिया

(11) तेजराम जायसवाल पिता चैतराम जायसवाल उम्र 37 वर्ष साकिन लोधिया थाना खरसिया

(12) भुनेश्वर श्रीवास पिता समारू श्रीवास उम्र 38 वर्ष साकिन ढिमानी थाना खरसिया

(13) विमल पटेल पिता राजेश पटेल उम्र 20 वर्ष साकिन ढिमानी थाना खरसिया

अग्निवीर वायु सैनिक के लिए 28 जुलाई तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

सारंगढ़ बिलाईगढ़

वायु सेना में अग्निवीर की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। इसके लिए युवाओं की जन्मतिथि 3 जुलाई 2004 से 3 जनवरी 2008 के बीच होना चाहिए। यह साढ़े 17 से 21 साल के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। इच्छुक युवक युवती अग्निवीर वायु सैनिक के लिए 28 जुलाई 2024 को रात्रि 11 बजे तक ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं, जिसका ऑनलाइन परीक्षा 18 अक्टूबर 2024 को निर्धारित है। पंजीकरण के लिए पोर्टल अग्निपथ वायुसीडीएसी डॉट इन पर किया जा सकता है।

इसके लिए योग्यता हायर सेकंडरी बारहवीं में विज्ञान, वाणिज्य कला वर्ग के विद्यार्थी 50 प्रतिशत प्राप्तांक और अंग्रेजी विषय में अनिवार्य रूप से 50 प्रतिशत अंक आने पर शैक्षणिक रूप से भर्ती में भाग लेने के लिए पात्र होते है।

मोबाइल नंबर और ईमेल सही देना फायदेमंद- युवा जब फॉर्म भरें तो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूर प्रदान करें। जहां से फॉर्म भर रहे हैं और उसी दुकानदार का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देने से कब परीक्षा होगी मोबाइल पर सूचना मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। परीक्षा से ऐसे बच्चे वंचित हो जाते हैं। इसलिए फॉर्म भरते समय या अन्य जरूरी स्थानों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही दें।

उल्लेखनीय है कि वायु सेना में अग्निवीर वायु सैनिक में चयनित होने पर 100 में से 25 सैनिकों को 4 साल की सेवा के बाद आगामी सेवा के लिए बढ़ाया जाता है। इसके साथ-साथ 4 साल की सेवा के बाद लौटने पर अन्य प्रकार की लाभ जैसे केंद्रीय में राज्य सरकार अन्य नौकरियों में उनके लिए रिजर्व सीट रहता है। साथ ही साथ उनको राशि 10 लाख के साथ अन्य राशियों को जोड़े तो 20 लाख रुपए की भुगतान उनको किया जाता है। अग्निवीर में चयनित होने पर उनको रहना खाना पीना और वर्दी निशुल्क रहता है। साथ ही पहला रेल यात्रा फ्री होता है। बाकी में राशि में छूट दिया जाता है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गर्वनिंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU